राजस्थान सरकार

खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांकः प.1(7)खान/ग्रुप–1/2022 जयपुर, दिनांकः 22 NOV 2022

आदेश

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्नांकित खनि अभियंता को उनके सम्मुख अंकित रिक्तियों के विरूद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से अधीक्षण खनि अभियंता के पद पर वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता हैः–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी	चयनित वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	श्री सुनील कुमार शर्मा	अनारक्षित	2022–23	01.04.2022
2.	श्री शिवप्रसाद शर्मा	अनारक्षित	2022–23	01.05.2022
3.	श्री यशवन्त डामोर	अ.ज.जा.	2022–23	01.10.2022

सभी पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगें। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

नोटः– उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन परिवर्तनशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. निजी पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव